सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी—केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः—2021/180 दर्ज तिथिः—13.08.2021

1. दलाराम पुत्र केशराराम
2. वेहनी पत्नि केशराराम
   जति जाट निवासी हुडों का तला पटवार मण्डल नोखडा तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर।

.....वादीगण

बनाम

1. टीकमाराम पुत्र गुणेशाराम
   जाति जाट निवासी हुडों का तला, नोखडा तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर
   .....असल प्रतिवादी
2. तहसीलदार गुडामालानी जिला बाडमेर
   .....तकमीली प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः—श्री रामजीवन विश्नोई
प्रतिवादीगणः—श्री जगदीश विश्नोई

वादपत्र अन्तर्गत धारा—183, 188
राजजस्थान काश्त0 अधि0—1955

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—14.10.2024

1. आज यह पत्रावली राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा—183, 188 के अन्तर्गत एक राजस्व वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 222/6.1755 है0 वाके ग्राम हुडों का तला नोखड़ा तहसील नोखड़ा में अवस्थित हैं। वादी की उक्त खातेदारी भूमि पर रहवास बनी हुई है तथा चारो तरफ पुरानी माठ बनी हुई है। वादी की उक्त खातेदारी आराजी के पड़ौस में प्रतिवादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 223 अवस्थित हैं। वादीगण द्वारा दायर नेखमबंदी आवेदन संख्या 45/2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी द्वारा स्वीकार किया जाकर उक्त नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को दिनांक 18.02.2019 को आदेशित

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.05 14:06:36 IST
Reason: SelfAttested

किया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार गुड़ामालानी के आदेश दिनांक 08.03.2019 की पालना में भू—अभिलेख निरीक्षक, नोखड़ा व गोलिया जेतमाल ने दिनांक 30.05.2019 को मौका निरीक्षण एवं मौका जमीन नापकर व सीमाज्ञान कर फर्द मौका, नक्शा तैयार किया। जिसमें वादीगण के खसरा संख्या 222 में पड़ौसी खसरा संख्या 223 के खातेदार प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा मौका फर्द दिनांक 30.05.2019 में दर्शायी बरंग लाल भाग पर अवैध एवं अनाधिकृत कब्जा पाया गया। जिस पर राजस्व कार्मिकों ने प्रतिवादी संख्या 01 को कब्जा हटाने हेतु कहा गया। परंतु प्रतिवादी संख्या 01 ने कब्जा हटाने से मना कर दिया। प्रतिवादीगण द्वारा वादी की खातेदारी भूमि की जबरन कब्जा किया गया हैं। प्रतिवादीगण द्वारा वादी की खातेदारी भूमि पर अपना अनाधिकृत कब्जा कर वादी के कब्जा काश्त की भूमि को अपनी भूमि बताकर अवैध कब्जा किया गया है तथा वादी की खातेदारी भूमि पर निर्माण कार्य करने पर आमादा है। यदि प्रतिवादीगण अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी। इस कारण वादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा मौका फर्द दिनांक 30.05.2019 में दर्शायी बरंग लाल भाग पर अवैध एवं अनाधिकृत कब्जा को अवैध कब्जा करार देते हुए प्रतिवादीगण को वादीगण की उक्त अवैध कब्जेशुदा आराजी से बेदखल करते हुए वादी को कब्जा दिलवाकर वादी की खातेदारी आराजी की सुरक्षार्थ प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने हेतु दावा प्रस्तुत किया गया है। अंत में वादीगण ने वादीगण की खातेदारी आराजी के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण के विरूद्ध बेदखली व कब्जा सुपुर्दगी के साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष स्वीकार कर दावा डिक्री करने का निवेदन किया।

2. दावा पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 जरिये अधिवक्तागण हाजिर न्यायालय हुए तथा वादी के वाद पत्र का जबाव पेश कर निवेदन किया कि वादीगण द्वारा अपने खेत खसरा संख्या 222/6.1755 है0 वाके ग्राम हुडों का तला नोखड़ा की नेखमबंदी करवाई है तो प्रतिवादीगण को इस संबंध में पूर्व में सूचित नहीं किया गया एवं मौका फर्द में भी नेखमबंदी की कार्यवाही के दिन प्रतिवादीगण की उपस्थिति या अनुपस्थिति नहीं बताई गई है। वादीगण द्वारा नेखमबंदी की कार्यवाही केवल कागजों में की गई है। भौतिक स्तर पर नेखमबंदी की कार्यवाही नहीं हुई है। प्रतिवादीगण अपने खेत पर लगातार दो पीढीयों से निवास करते आ रहे हैं एवं वादीगण एवं प्रतिवादीगण के खेत के मध्य वर्षों पुरानी माठ भी बनी हुई होने के कारण प्रतिवादीगण का वादीगण की आराजी पर कब्जा नहीं है। वादीगण ने अपने दावे में प्रतिवादीगण के खेत खसरा संख्या का उल्लेख नहीं किया है और ना ही राजस्व टीम ने प्रतिवादीगण के कब्जे की आराजी का उल्लेख किया है। वादीगण ने अपने दावे के पैरा संख्या 02 में उल्लेख किया है कि प्रतिवादीगण का उक्त खातेदारी आराजी पर कोई कब्जा काश्त नहीं है, तो उक्त वादीगण द्वारा उक्त वाद पेश करने का कोई औचित्य ही प्रतीत नहीं होता है। वाद के पैरा संख्या 04 में उल्लेख किया गया है कि मुतनाजा आराजी पर प्रतिवादीगण का कब्जा है लेकिन प्रतिवादीगण के खिलाफ किसी प्रकार की कोई दाण्डिक कार्यवाही वादीगण ने कभी नहीं की। इससे सिद्ध होता है कि प्रतिवादीगण का किसी प्रकार का वादी की जमीन पर कब्जा नहीं है। अतः दावा वादीगण सारहीन होने से खारिज फरमाया जावे। प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा जबाव पेश करने के पश्चात तनकीयात कायम की जाकर पत्रावली वादीगण साक्ष्य में रखी गई।

3. वादी द्वारा प्रकरण में निम्न दस्तावेजी साक्ष्य व प्रदर्श प्रस्तुत किए गएः—

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.05 14:06:36 IST
Reason: SelfAttested

प्रदर्श	दस्तावेज	दिनांक / सम्वंत
1.	खाता संख्या 63 जमाबंदी वाके ग्राम नोखड़ा तहसील नोखड़ा	अंतिम चौसाला आधार सम्वत 2075—78 जमाबंदी सम्वत 2078 (वर्ष 2021)
2.	खाता संख्या 63 राजस्व नक्शा वाके ग्राम नोखड़ा तहसील नोखड़ा	सम्वत 2078 (वर्ष 2021)
3.	तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा नेखमबंदी पालना रिपोर्ट मय फर्द मौका	पत्रांक / भू.अ. / 2019 / 2222 दिनांक 01.07.2019
4.	तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा नेखमबंदी पालना रिपोर्ट दिनांक 30.05.2019 का नक्शा	पालना रिपोर्ट दिनांक 30.05.2019 का नक्शा

4. प्रकरण में वादीगण द्वारा निम्न गवाह साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिनकी चीफ करवाकर बयान लेखबद्ध किए जाकर शामिल पत्रावली किए गएः—

क्र.स.	नाम मय वल्दीयत	निवासी
पी. डब्ल्यू.—1	दलाराम पुत्र केशराराम जाति जाट	निवासी हुडों का तला तहसील नोखड़ा

5. वादी साक्ष्य के पश्चात् पत्रावली प्रतिवादीगण के साक्ष्य में रखी गई। प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा निम्न गवाह साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिनकी चीफ करवाकर बयान लेखबद्ध किए जाकर शामिल पत्रावली किए गएः—

क्र.स.	नाम मय वल्दीयत	निवासी
डी. डब्ल्यू.—1	टीकमाराम पुत्र गुणेशाराम जाति जाट का हलफनामा	निवासी हुडों का तला तहसील नोखड़ा
डी. डब्ल्यू.—2	रावताराम पुत्र हेमाराम जाति जाट का हलफनामा	निवासी हुडों का तला तहसील नोखड़ा

6. प्रकरण में प्रकरण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने वाद पत्र के कथनों को दोहराते हुए वादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा मौका फर्द दिनांक 30.05.2019 में दर्शायी बरंग लाल भाग पर अवैध एवं अनाधिकृत कब्जा को अवैध कब्जा करार देते हुए प्रतिवादीगण को वादीगण की उक्त अवैध कब्जेशुदा आराजी से बेदखल करते हुए वादी को कब्जा दिलवाकर वादी की खातेदारी आराजी की सुरक्षार्थ प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने हेतु दावा प्रस्तुत किया गया है। अंत में वादीगण ने वादीगण की खातेदारी आराजी के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण के विरूद्ध बेदखली व कब्जा सुपुर्दगी के साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष स्वीकार कर दावा डिक्री किया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.05 14:06:36 IST
Reason: SelfAttested

7. प्रतिवादीगण अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर लिखित बहस प्रस्तुत करते हुए वादपत्र को वादीगण साबित करने में असफल होने के कारण खारिज फरमाने का निम्न प्रकार निवेदन किया—

- कि वादीगण द्वारा अपनी आराजी पर अतिक्रमण करने वाले खातेदार के पड़ौसी खसरे का विवरण अंकित नहीं किया है। इससे स्पष्ट है कि वादीगण की आराजी पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है।
- कि वादीगण द्वारा न्यायालय से प्रकरण में कोई मौका रिपोर्ट तलब नहीं करवाई गई है। जिससे कि वादीगण की खातेदारी आराजी पर अतिक्रमण स्पष्ट होता हो। पत्रावली पर केवल नेखमबंदी पालना रिपोर्ट दिनांक 30.05.2019 संलग्न है। जो कि नेखमबंदी का भाग है। उक्त नेखमबंदी पालना रिपोर्ट दिनांक 30.05.2019 को दावे में साक्ष्य के रूप में नहीं पढा जा सकता है।
- कि पत्रावली पर केवल नेखमबंदी पालना रिपोर्ट दिनांक 30.05.2019 संलग्न है। जो कि नेखमबंदी का भाग है। उक्त नेखमबंदी पालना रिपोर्ट दिनांक 30.05.2019 को तैयार करते समय प्रतिवादी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। साथ ही उक्त रिपोर्ट को तस्दीक करने हेतु कोई राजस्व कार्मिक बतौर साक्ष्य उपस्थित नहीं हुआ। अतः उक्त नेखमबंदी पालना रिपोर्ट दिनांक 30.05.2019 को दावे में साक्ष्य के रूप में नहीं पढा जा सकता है। इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत 2014 (2) आरआरटी 1356 प्रस्तुत की गई।
- कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावे में अभिकथित आराजी पर प्रतिवादीगण का करीब दो पीढीयों से कब्जा—काश्त है। इस प्रकार वादी का दावा म्याद बाहर है। इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत 2015 (1) आरआरटी 265 प्रस्तुत की गई।
- कि वादीगण ने मुख्य परीक्षा में अभिकथन किया है कि प्रतिवादी 2—3 बार सेढा तोड़कर अंदर आ गया है। लेकिन उसके खिलाफ कोई फौजदारी कार्यवाही नहीं की है। वादी इसका कारण स्पष्ट करने में असफल रहा है। साथ ही वादी यह बताने में असफल रहा है कि उसकी खातेदारी के कितने रकबे पर अतिक्रमण किया गया है। वादी द्वारा केवल नेखमबंदी पालना रिपोर्ट को आधार बनाया गया है। इस आधार पर वादी का प्रकरण नहीं बनता है।

8. प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में तीन तनकीयात कायम किये गये। प्रकरण का तनकीयात निष्कर्ष किया जाना अपेक्षित है। अतः प्रकरण में प्रथम तनकी वादीगण की खातेदारी आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा किये गये कब्जे को अवैध घोषित करवाते हुए प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने के अनुतोष से संबंधित है।

9. प्रकरण की प्रथम तनकी वादीगण की खातेदारी आराजी के आंशिक भाग पर प्रतिवादीगण के कब्जा को हटवाने हेतु प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर वादीगण को कब्जा सुपुर्द करने से संबंधित है। प्रथम तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण के जिम्मे है। प्रकरण में सर्वप्रथम प्रथम तनकी के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.05 14:06:36 IST
Reason: SelfAttested

विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—183 का उद्धरण यहॉ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार हैः—

> **183. Ejectment of certain trespasser—**
>
> *(1) Not withstanding anything to the contrary in any provision of this Act, a trespasser who has taken or retained possession of any land without lawful authority shall be liable to ejectment, subject to the provision contained in sub-section (2), on the suit of the person or persons entitled to eject him and shall be further liable to pay as penalty for each agricultural year during the whole or any part whereof he has been in such possession, a sum which may extend to fifteen times the annual rent.*
>
> *(2) In case of land which is held directly from the State Government or to which the State Government, acting through the Tehsildar, is entitled to admit the trespasser as tenant, the Tehsildar shall proceed in accordance with the provisions of section 91 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Rajasthan Act 15 of 1956).*

6. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—183 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा—183 के अन्तर्गत किसी अतिक्रमी के किसी भूमि पर अवैध कब्जा होने/करने/कब्जा जारी रखने की स्थिति में उक्त अतिक्रमी उक्त भूमि से बेदखल किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। उक्त विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है।

7. प्रकरण में वादीगण द्वारा अपने दावे को पुष्ट करने हेतु प्रदर्श संख्या—01 प्रस्तुत किया है जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 222/6. 1755 है0 वाके ग्राम हुडों का तला नोखड़ा तहसील नोखड़ा में अवस्थित हैं। प्रदर्श संख्या—04 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी के पड़ौस में प्रतिवादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 223 तहसील नोखड़ा अवस्थित हैं। प्रकरण में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी द्वारा निर्णित राजस्व वाद संख्या 45/2018 की पालना में वादीगण द्वारा अपनी खातेदारी आराजी की नेखमबंदी करवाई। उक्त नेखमबंदी के दौरान वादीगण की खातेदारी आराजी के आंशिक भाग पर प्रतिवादीगण का कब्जा स्पष्ट हुआ। तहसीलदार गुड़ामालानी के नेखमबंदी मौका रिपोर्ट दिनांक 30.05.2019 तथा नेखमबंदी मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न नजरी नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण की आराजी की नेखमबंदी की गई।

8. प्रकरण में वादीगण अनुसार उक्त नेखमबंदी के दौरान वादीगण की खातेदारी आराजी के आंशिक भाग पर प्रतिवादीगण का कब्जा स्पष्ट हुआ। वादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी के आंशिक भाग पर प्रतिवादीगण का कब्जा को हटाने हेतु निवेदन किया। परंतु प्रतिवादीगण कब्जा नहीं हटाया। इस कारण वादीगण को द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी के आंशिक भाग पर प्रतिवादीगण का कब्जा को हटवाने हेतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.05 14:06:36 IST
Reason: SelfAttested

बेदखली व प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने हेतु दावा प्रस्तुत किया गया है।

9. प्रकरण में साक्ष्य गवाह के बयानो का अवलोकन किया गया। पी. डब्ल्यू.—1 दलाराम पुत्र केशराराम जाति जाट निवासी हुडों का तला ने शपथपूर्वक कथन किया है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की आराजी खसरा संख्या 222/6.1755 है0 वाके ग्राम हुडों का तला नोखड़ा तहसील नोखड़ा के कुछ हिस्से पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा कर रखा है। प्रकरण में डी.डब्ल्यू.—01 टीकमाराम पुत्र गुणेशाराम ने अभिकथन किया कि प्रतिवादीगण का उक्त भूमि पर सेटलमेंट के समय से ही कब्जा चला आ रहा है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी की किसी आराजी पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा स्वयं की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 223/118 बीघा पर ही काबिज काश्त है।

10. प्रकरण में प्रदर्श संख्या—01 तथा प्रदर्श संख्या—02 के अवलोकन से अनुसार स्पष्ट है कि वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 222/6.1755 है0 वाके ग्राम हुडों का तला नोखड़ा तहसील नोखड़ा तथा प्रतिवादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 223 तहसील नोखड़ा आपस में सेड़े—सेढ़ अवस्थित है। प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन तथा साक्ष्य गवाह के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 222/6.1755 है0 वाके ग्राम हुडों का तला नोखड़ा तहसील नोखड़ा के आंशिक भाग पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा किया हुआ है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 222/6.1755 है0 वाके ग्राम हुडों का तला नोखड़ा तहसील नोखड़ा के आंशिक भाग पर किए गए कब्जे को वैध कब्जा साबित करने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रकरण में राजस्व कार्मिकों द्वारा नेखमबंदी की जाकर वादीगण की खातेदारी आराजी की सीमाओं का चिन्हीकरण किया गया है। उक्त नेखमबंदी दिनांक 30.05.2019 के विरूद्ध प्रतिवादीगण द्वारा कोई चुनौती नहीं की गई। इससे स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण को नेखमबंदी दिनांक 30.05.2019 स्वीकार है। प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब व साक्ष्य में यह स्वीकार किया है कि प्रतिवादीगण सेटलमेंट के समय से ही उक्त आराजी पर काबिज—काश्त हैं। उक्त प्रकार से स्पष्ट होता है कि प्रतिवादीगण अपनी खातेदारी आराजी से इत्तर या अधिक रकबे पर वादीगण की खातेदारी आराजी के आंशिक भाग पर काबिज काश्त हैं।

11. प्रतिवादीगण का कथन है कि प्रकरण में वादी द्वारा पृथक से कोई मौका रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। साथ ही प्रतिवादीगण का सेटलमेंट से कब्जा होने के कारण वादी का वाद म्याद बाहर है। प्रकरण में वादी का दावा प्रदर्श संख्या—04 नेखमबंदी रिपोर्ट दिनांक 30.05.2019 के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे से साबित होता है। साथ ही वादी को प्रदर्श संख्या—03 नेखमबंदी रिपोर्ट दिनांक 30.05.2019 के समय से अतिक्रमण की जानकारी होने से प्रकरण म्याद के अंतर्गत होना स्पष्ट है। वादी की खातेदारी आराजी के आंशिक भाग पर सेटलमेंट के समय से प्रतिवादीगण का काबिज—काश्त होने मात्र से प्रतिवादीगण का कब्जा वैध कब्जा साबित नहीं होता है। इस प्रकार प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 222/6.1755 है0 वाके ग्राम हुडों का तला नोखड़ा तहसील नोखड़ा के आंशिक भाग पर किए गए कब्जे को वैध कब्जा मानने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार उक्त प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 222/6.1755 है0 वाके ग्राम हुडों का तला नोखड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.05 14:06:36 IST
Reason: SelfAttested

तहसील नोखड़ा के आंशिक भाग पर किए गए कब्जे को अवैध कब्जा करार दिया जाता है।

12. साथ ही प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन तथा साक्ष्य गवाह के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 222/6.1755 है0 वाके ग्राम हुडों का तला नोखड़ा तहसील नोखड़ा के आंशिक भाग पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा किया हुआ है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 222/6.1755 है0 वाके ग्राम हुडों का तला नोखड़ा तहसील नोखड़ा के आंशिक भाग पर किए गए कब्जे को वैध कब्जा साबित करते हुए स्वयं को वैध खातेदार साबित करने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादी की खातेदारी आराजी के आंशिक भाग पर सेटलमेंट के समय से प्रतिवादीगण का काबिज—काश्त होने मात्र से प्रतिवादीगण का कब्जा वैध कब्जा साबित नहीं होता है। इस प्रकार प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 222/6.1755 है0 वाके ग्राम हुडों का तला नोखड़ा तहसील नोखड़ा के आंशिक भाग पर किए गए कब्जे को वैध कब्जा मानते हुए प्रतिवादीगण को उक्त कब्जेशुदा आराजी का खातेदार मानने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार उक्त प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 222/6.1755 है0 वाके ग्राम हुडों का तला नोखड़ा तहसील नोखड़ा के आंशिक भाग पर किए गए कब्जे को अवैध कब्जे के आधार पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है। इस संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—5 (44) के अन्तर्गत अतिक्रमी को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया हैः—

> ***(44) "Trespasser"*** *shall mean a person who takes or retains possession of and without authority or who prevents another person from occupying land duly let out to him;*

10. इस प्रकार उक्त विश्लेषण के अनुसार वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 222/6.1755 है0 वाके ग्राम हुडों का तला नोखड़ा तहसील नोखड़ा के आंशिक भाग पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा किया हुआ है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 222/6.1755 है0 वाके ग्राम हुडों का तला नोखड़ा तहसील नोखड़ा के आंशिक भाग पर किए गए कब्जे को वैध कब्जा साबित करते हुए स्वयं को वैध खातेदार साबित करने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादी की खातेदारी आराजी के आंशिक भाग पर सेटलमेंट के समय से प्रतिवादीगण का काबिज—काश्त होने मात्र से प्रतिवादीगण का कब्जा वैध कब्जा साबित नहीं होता है। अतः प्रकरण में प्रथम तनकी को साबित करने में वादीगण सफल रहे हैं। इस प्रकार प्रथम तनकी वादीगण के पक्ष में स्वीकार की जाती है।

11. प्रकरण में द्वितीय तनकी वादीगण की खातेदारी आराजी पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से संबंधित है। द्वितीय तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण के जिम्मे है। प्रकरण में इस तनकी के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 का उद्धरण यहॉ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार हैः—

> ***188. Injunction against wrongful ejectment—***
> *(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.05 14:06:36 IST
Reason: SelfAttested

landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.
(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-
(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;
(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;
(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.
(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.

13. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा—188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारो की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान/अतिक्रमण किया जा रहा हो/किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न/अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 की उपधारा—2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैः—

परिस्थिति	विवरण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।
2.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।
3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।
4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।

14. उक्त विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। वादी का यह कथन है कि उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा जबरन कब्जा कर उसके उपयोग व उपभोग में व्यवधान किया जाता है या उस पर निर्माण किया जाता है तो वादीगण को स्पष्ट रूप से नापूर्ति होने वाली क्षति संभावित है। वादीगण का उक्त कथन स्वतः साबित है क्योंकि प्रतिवादी का मुताबिक रिकॉर्ड उक्त आराजी से कोई संबंध व सरोकार होना साबित नहीं है।

15. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 की उपधारा—1 के तहत स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष सिद्ध करने हेतु निम्न महत्वपूर्ण बिन्दु हैं जो इस प्रकार हैः—

	प्रकरण में प्रदर्श संख्या—01 ता 04 के अवलोकन के अनुसार स्पष्ट है कि वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 222/6.1755 है0 वाके ग्राम हुडों का तला नोखड़ा तथा प्रतिवादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 223 आपस में सेड़े—सेढ़ अवस्थित है। आराजी खसरा संख्या 222/6.1755 है0 वाके ग्राम हुडों का तला नोखड़ा अंतिम चौसाला आधार

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.05 14:06:36 IST
Reason: SelfAttested

स्वामित्व एवं कब्जा	सम्वत 2075—78 जमाबंदी सम्वत 2078 (वर्ष 2021) वाके ग्राम हुडों का तला तहसील नोखड़ा के खाता संख्या 63 के अंकित इन्द्राज से वादी की खातेदारी होना पूर्ण रूप से साबित होती है। अतः मुतनाजा आराजी पर वादी का स्वामित्व अविवादित है। साथ ही राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदार का ही आराजी पर कब्जा होना स्वतः साबित तथ्य है।
सुविधा का संतुलन	मुतनाजा आराजी पर वादीकी खातेदारी आराजी होने तथा वादीगण का कब्जा स्पष्ट साबित होने के कारण सुविधा व न्याय का संतुलन भी परिणामस्वरूप उक्त शर्त भी वादी के पक्ष में होना स्पष्ट है।
अपूरणीय क्षति	वादीगण ने अपने वादपत्र में उल्लेख किया है कि उक्त मुतनाजा आराजी राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त विवादित आराजी से प्रतिवादीगण का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। यदि प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को उक्त आराजी से बेदखल किया जाता है तो वादीगण को नापूर्ति होने वाली क्षति साबित है। परिणामस्वरूप उक्त शर्त भी संतुष्ट होती है।

16. उक्त प्रकार से स्पष्ट है कि उक्त खातेदारी आराजी वादीगण की निजी खातेदारी आराजी है तथा प्रतिवादीगण का उक्त वादीगण की खातेदारी आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है। इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 की उपधारा—2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैः—

परिस्थिति	विवरण	विश्लेषण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान /घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।	1. प्रकरण में वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 222/6.1755 है0 वाके ग्राम हुडों का तला नोखड़ा पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में वादीगण की निजी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में प्रतिवादीगण द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने से वादीगण को होने वाले कई प्रकार के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नुकसान की क्षतिपूर्ति को आंकलित करना संभव प्रतीत नहीं होता है। अतः वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 222/6.1755 है0 वाके ग्राम हुडों का तला नोखड़ा पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान को रोका जाना आवश्यक प्रतीत होता है।
1.	जब अतिक्रमण/व्यवधान /घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त	1. प्रकरण में वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 222/6.1755 है0 वाके ग्राम हुडों का तला नोखड़ा पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में वादीगण की निजी खातेदारी आराजी परखातेदारी अधिकारों की

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.05 14:06:36 IST
Reason: SelfAttested

	राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।	आमदरफत में प्रतिवादीगण द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने से वादीगण को होने वाले कई प्रकार के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु आर्थिक मुआवजा दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है।
2.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।	अतः वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 222/6.1755 है0 वाके ग्राम हुडों का तला नोखड़ा पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान को रोका जाना आवश्यक प्रतीत होता है।
3.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।	1. प्रकरण में वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 222/6.1755 है0 वाके ग्राम हुडों का तला नोखड़ा पर वादीगण की निजी खातेदारी आराजी परखातेदारी अधिकारों की आमदरफत में प्रतिवादीगण द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने से रोकने का स्थाई निषेधाज्ञा का वाद लाया गया है। 2. अगर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 222/6.1755 है0 वाके ग्राम हुडों का तला नोखड़ा पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में बेदखली के अनेक वाद न्यायालय में दायर होते रहेगें। 3. अगर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 222/6.1755 है0 वाके ग्राम हुडों का तला नोखड़ा पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में मुआवजे के वाद न्यायालय में दायर होते रहेगें। 4. अगर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 222/6.1755 है0 वाके ग्राम हुडों का तला नोखड़ा पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में उभयपक्षकारों के मध्य फौजदारी के प्रकरण सामने आ सकते है। अतः विवादों की बहुलता उत्पन्न होने की प्रबल संभावना प्रतीत होती है।

17. इस प्रकार स्पष्ट है कि वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 222/6.1755 है0 वाके ग्राम हुडों का तला नोखड़ा पर वादी का स्वामित्व व कब्जा साबित होता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.05 14:06:36 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 222/6.1755 है0 वाके ग्राम हुडों का तला नोखड़ा पर वादी का स्वामित्व व कब्जा साबित होने से सुविधा का सन्तुलन भी वादी के पक्ष में झुकाव रखता है। उक्त विवादित आराजी से प्रतिवादीगण का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। साथ ही यदि प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को उक्त आराजी से बेदखल किया जाता है तो वादीगण को नापूर्ति होने वाली क्षति साबित है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 की उपधारा—2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु चार परिस्थितियां भी वादी की खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान को रोकने हेतु आवश्यक परिस्थितियां उत्पन्न होना इंगित करती है। इस प्रकार अन्त में उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादीगण द्वितीय अनुतोष प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः प्रकरण में द्वितीय तनकी को साबित करने में वादीगण सफल रहे हैं। इस प्रकार द्वितीय तनकी वादीगण के पक्ष में स्वीकार की जाती है।

18. प्रकरण में तृतीय तनकी वादपत्र में वर्णित वादी की खातेदारी आराजी पर प्रतिवादीगण के कब्जे के रकबे व खसरे का उल्लेख नहीं होने के साथ—साथ प्रतिवादी के वक्त सेटलमेंट के समय से उक्त आराजी पर काबिज—काश्त होने के आधार पर प्रतिवादी का कोई अतिक्रमण नहीं होने के कारण वादी का दावा खारिज करने से संबंधित है। उक्त तनकी को साबित करने का जिम्मा प्रतिवादी का है। प्रकरण में प्रथम व द्वितीय तनकी के वादी के पक्ष में साबित होने से तृतीय तनकी पर पृथक से कोई विश्लेषण अपेक्षित नहीं है। क्योंकि तृतीय तनकी मात्र प्रथम व द्वितीय तनकी का खण्डन मात्र है। अतः प्रतिवादीगण तृतीय तनकी को साबित करने में असफल रहे हैं। अतः

आदेश है कि

वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 222/6.1755 है0 वाके ग्राम हुडों का तला नोखड़ा पर नेखमबंदी पालना रिपोर्ट दिनांक 30.05.2019 में लाल रंग से अंकित रकबे पर प्रतिवादीगण द्वारा किये गये कब्जे को अवैध करार देते हुए उक्त रकबे तक प्रतिवादीगण को अतिक्रमी घोषित किया जाकर बेदखल किये जाकर कब्जा वादीगण को सुपुर्द किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। साथ ही प्रतिवादीगण को अपनी खातेदारी आराजी का विधिवत सीमाज्ञान व खातेदारी आराजी के सीमांकन करवाने के पश्चात प्रतिवादीगण को विधिक प्रावधान व प्रक्रिया का पालन किए बिना वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर कार्य काश्त में अर्थात फसल बोने—जोतने, काटने, लाने—ले जाने में रूकावट मजाहमत नहींकरने के साथ ही वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर वादीगण को बेदखल करते हुए किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.05 14:06:36 IST
Reason: SelfAttested

करने और कृषि भूमि को अकृषि नहीं बनाने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाकर दावा डिक्री किया जाता है।

उक्त निर्णयानुसार पर्चा डिक्री तैयार की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 14.10.2024 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.05 14:06:36 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी—केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः—2021 / 180 दर्ज तिथिः—13.08.2021

1. दलाराम पुत्र केशराराम
2. वेहनी पत्नि केशराराम
   जति जाट निवासी हुडों का तला पटवार मण्डल नोखडा तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर।

.....वादीगण

बनाम

1. टीकमाराम पुत्र गुणेशाराम
   जाति जाट निवासी हुडों का तला, नोखडा तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर
   .....असल प्रतिवादी
2. तहसीलदार गुडामालानी जिला बाडमेर
   .....तकमीली प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः—श्री रामजीवन विश्नोई
प्रतिवादीगणः—श्री जगदीश विश्नोई

वादपत्र अन्तर्गत धारा—183, 188
राजजस्थान काश्त0 अधि0—1955

—:पर्चा डिक्रीः—

वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 222/6.1755 है0 वाके ग्राम हुडों का तला नोखड़ा पर नेखमबंदी पालना रिपोर्ट दिनांक 30.05.2019 में लाल रंग से अंकित रकबे पर प्रतिवादीगण द्वारा किये गये कब्जे को अवैध करार देते हुए उक्त रकबे तक प्रतिवादीगण को अतिक्रमी घोषित किया जाकर बेदखल किये जाकर कब्जा वादीगण को सुपुर्द किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। साथ ही प्रतिवादीगण को

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.05 14:06:36 IST
Reason: SelfAttested

अपनी खातेदारी आराजी का विधिवत सीमाज्ञान व खातेदारी आराजी के सीमांकन करवाने के पश्चात प्रतिवादीगण को विधिक प्रावधान व प्रक्रिया का पालन किए बिना वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर कार्य काश्त में अर्थात फसल बोने—जोतने, काटने, लाने—ले जाने में रूकावट मजाहमत नहींकरने के साथ ही वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर वादीगण को बेदखल करते हुए किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं करने और कृषि भूमि को अकृषि नहीं बनाने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाकर दावा डिक्री किया जाता है।

यह डिक्री आज दिनांक 14.10.2024 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया गयी एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी की गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.05 14:06:36 IST
Reason: SelfAttested